राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –248 एवं 249/2013/श्रीगंगानगर

मैसर्स बेअंत कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि.,
सूरतगढ। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स श्रीगंगानगर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य.

उपस्थित ::

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.11.2016

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर के आदेश दिनांक 17.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अवधि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** की जायेगा) की धारा 33 के तहत पृथक–पृथक पारित कियें गये आदेश दिनांक 31.10.2011 एवं 21.05.2012 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार व विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये अधिनियम धारा 33 के तहत एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.10.2011 को पारित किया जाकर कर व ब्याज के रूप में रूपये 21,58,218/– का आरोपण किया गया। इसी प्रकार 'वर्ष 2008–09 के लिये अधिनियम की धारा 33 के तहत एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.05.2012 को पारित किया जाकर कर व ब्याज़ के रूप में रूपये 611348/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध कर बोर्ड के समक्ष ये अपीलें प्रस्तुत की गयी।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

लगातार.....2

5. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी के विवादित आदेश दिनांक 31.10.2011 एवं 21.05.2012 के विरूद्ध उपायुक्त (अपील्स) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उपायुक्त (अपील्स) द्वारा दिनांक 17.10.2012 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण कर. निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में दोनों प्रकरणों में दिनांक 01.12.2014 को आदेश पारित किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दोनों अपीलें निष्प्रभावी हो चुकी हैं। विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के समर्थन में उपायुक्त (अपील्स) के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 17.10.2012 एवं इसकी अनुपालना में पारित कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 01.12.2014 की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयीं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलें निष्प्रभावी हो जाने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के अभिकथन से सहमति व्यक्त की गयी।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा उपायुक्त (अपील्स) के आदेश दिनांक 17.10.2012 एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 01.12.2014 का भी अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 01.12.2014 पारित कर दिये हैं।

9. अतएंव कर निर्धारण अधिकारी के विवादित आदेश दिनांक 31.10.2011 एवं 21.05.2012 अस्तित्व में नहीं रहने के कारण, उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत दोनों वर्तमान अपीलें निष्प्रभावी हो जाती हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** एवं माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन बनाम मैसर्स विशाल ट्रेडिंग कम्पनी [(1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 61]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें सारहीन(Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

22.11.2016

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष